झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या...02..... वर्ष 20..23..

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री सद्दीक अंसारी
मुखिया ग्राम पंचायत मधवाडीह
प्रखण्ड - बेंगाबाद, जिला - गिरिडीह

बनाम

प्रतिवादी जिला शिक्षा अधीक्षक
गिरिडीह

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	श्री सद्दीक अंसारी, मुखिया ग्राम पंचायत मधवाडीह, प्रखण्ड–बेंगाबाद जिला–गिरिडीह का परिवाद पत्र आयोग द्वारा जारी किये गंये व्हाटसएप्प पर प्राप्त हुआ है। परिवादी द्वारा उर्दु उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय मंडाटांड में मध्याह्न भोजन में अनियमितता संबंधी शिकायत का उल्लेख करते हुए एतद् संबंधी प्रकाशित खबर की प्रति उपलब्ध कराया है, जिसमें उक्त विद्यालय के शिक्षक श्री इम्तियाज अहमद के विरूद्ध लगभग एक वर्ष से स्कूल में मेन्यू के अनुसार मध्याह्न भोजन नहीं दिये जाने एवं अण्डा भी नहीं दिये जाने का उल्लेख है। शिकायतकर्ता का यह भी शिकायत है कि स्कूल में मध्याह्न भोजन महीनों से बन्द है। प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह को प्रतिवादी बनाते हुए उक्त मामले में सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–25.01.2023 को निर्धारित की जाती है। उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–25.01.2023 अपराह्न 12:00 बजे रखें। 19.1.23 **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–02 / 2023

25.01.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह उपस्थित। आज की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में उपस्थित जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह ने भी यह स्वीकारा है कि शिकायतकर्ता श्री सद्दीक अंसारी द्वारा दर्ज की गई शिकायत आंशिक रूप से प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होता है। सुनवाई के क्रम में जिला शिक्षा अधीक्षक ने यह भी कहा है कि मध्याह्न भोजन पुनः शुरू कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधीक्षक का कहना है कि MDM पुनः शुरू कर दिया गया है, इस बात को प्रमाणित करता है कि मध्याह्न भोजन कुछ समय के लिये बन्द था। कितने दिनों तक मध्याह्न भोजन बन्द रहा, इस बात की जाँच प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराया जाय। आयोग जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह को निर्देश देता है कि जितने दिनों तक मध्याह्न भोजन बन्द रहा, उसकी क्षतिपूर्ति के तौर पर विद्यालय के विद्यार्थियों को उसकी राशि उपलब्ध कराई जाय।

इस बीच सुनवाई के क्रम में शिकायतकर्ता जो सम्बन्धित पंचायत के मुखिया हैं, उनका कहना है कि जब वे विद्यालय में मध्याह्न भोजन की जाँच के लिये पहुँचे तो उन्हें रोका गया एवं प्रधानाध्यापक ने कहा कि जाँच करने का अधिकार उनके पास नहीं है। आयोग जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश देता है कि जिले के सभी विद्यालयों को पत्र निर्गत कर इस आशय की जानकारी दें कि मुखिया निगरानी समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। जिले से किसी भी पंचायत के इस तरह की शिकायत आने पर सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक जिम्मेवार होंगे एवं आयोग उनके विरूद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के सम्बन्धित धाराओं के तहत् कार्रवाई करने को बाध्य होगा।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–20.02.2023 को निर्धारित की जाती है।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–02 / 2023

20.02.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई।

आयोग के पिछले आदेश के आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह द्वारा मामले में कार्रवाई कर दी गई है। लेकिन कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग के अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। शिकायतकर्ता का भी कहना है कि अखबार के माध्यम से उन्हें इस आशय की जानकारी मिली है कि मध्याह्न भोजन जिस काल में नहीं दिया गया है, उस काल का क्षतिपूर्ति उपलब्ध करा दिया गया है। आयोग जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह को निर्देश देता है कि दिनांक–25.01.2023 को दी गई क्षतिपूर्ति का प्रमाण प्रतिवेदन आयोग को भेजें एवं इसकी प्रति शिकायतकर्ता को भी भेज दिया जाय।

आयोग इस आशय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त करता है।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।